न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–115/2011–12 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवथा अधिनियम

श्री नित्यानन्द जोशी

बनाम

राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री नित्यानन्द जोशी।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल।

बावत

खसरा नम्बर 434(पुराना नम्बर–431)
रकबा 0.077 है0
मौजा–मरौठा, परगना परवादून,
तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा वाद संख्या–37/1996–97 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट कम्पनी द्वारा आर0के0 स्याल मौजा मरौठा, परगना परवादनू, तहसील व जिला देहरादून में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–08–97 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री नित्यानन्द जोशी नें रविन्द्र हाण्डा पुत्र ओमप्रकाश से खसरा नम्बर–434 रकबा 0.194 मध्ये 0.077 है0 भूमि कय की जिसका अमलदरामद तहसीलदार, देहरादून के आदेश दिनांक 04–06–96 से खतौनी फसली वर्ष 1403 से 1408 में किया गया तत्पश्चात सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या–37/96–97 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट कं0लि0 द्वारा आर0के स्याल में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–08–97 से उक्त खसरा नम्बर–434 रकबा 0.194 है0 सम्पूर्ण भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दी गई। आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

निगरानीकर्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 21–08–97 के विरूद्व उन्होंने सहायक कलेक्टर, देहरादून के न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 21–08–97 के विरूद्व गोल्डन फारेस्ट कम्पनी द्वारा राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में 07 निगरानियां दायर की गई जिनका निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य बनने के पश्चात दिनांक 24–11–2000 को किया गया। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 24–11–2000 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय, नैनीताल एवं तत्पश्चात मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट योजित की गई। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11–04–2011 यह कहकर उक्त 07 निगरानियां राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड को निस्तारण हेतु भेजी कि राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा जो आदेश दिनांक 24–11–2000 को पारित किया गया है वह उत्तराखण्ड राज्य बनने के पश्चात किया गया है

जिसका उसे क्षेत्राधिकार नहीं था। अतः निगरानियां राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा निस्तारित की जाय। तत्पश्चात इन निगरानियों का निस्तारण राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश दिनांक 21—10—2014 से करते हुए सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—08—97 को निरस्त करते हुए प्रकरण को गुण—दोष के आधार पर निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को प्रतिप्रेषित किये गये हैं। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का भी तर्क यह था कि इस प्रकरण को निस्तारण हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जाय। चूँकि यह निगरानी भी आदेश दिनांक 21—08—97 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं, अतः इस प्रकरण को भी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21—10—2014 के आलोक में निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

आदेश

निगरानी स्वीकार करते हुए वाद गुण—दोष के आधार पर निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अवर न्यायालय वाद को यथाशीघ्र निस्तारित करना सुनिश्चित करें। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 18-12-14 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।